IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अनुरक्षण अनुभाग)
104—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 1570

Bureau of Indian Standards SQMS

संख्या /अनु0अनु0/ दिनांक

अति अल्पकालीन नीलामी सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित निष्प्रयोजय वाहनों की नीलामी हेतु दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक अनुरक्षण अनुभाग में सील्ड बिड/आफर आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित आफरदाताओं के समक्ष अनुरक्षण अनुभाग में खोली जायेंगी। निष्प्रयोज्य वाहनों का विवरण निम्नवत् है:—

क्रम सं0	वाहन संख्या / प्रकार	क्रय वर्ष	आरक्षित मूल्य	सील्ड बिड प्रपत्र का मूल्य	जमानत धनराशि	कार्यावधि
1.	यू0पी0 32डी0ए0—6205 (इण्डिगो कार)	2010	रू0 50,600.00	निःशुल्क	रू0 5000.00	एक सप्ताह
2.	यू0पी0 32सी0बी0—4152 (एम्बेस्डर कार)	2007	रू0 58,500.00	निःशुल्क	रू0 5000.00	एक सप्ताह

नियम व शर्तें:—

1— बिड में भाग लेने से पूर्व बिडदाता को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण अनुभाग उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी .मार्ग, लखनऊ से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में निःशुल्क बिड प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते है।

2— बिड में भाग लेने के लिए बिडदाता को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो " Executive Engineer (Maintenance), U.P.Avas Evam Vikas Parishad, Lucknow" के पक्ष में बंधक हो, संलग्न करते हुए सील्ड बिड कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करना होगा। प्रथम और द्वितीय बिडदाता को छोड़कर अन्य की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

3— उच्चतम बिडदाता को बिड में उसके द्वारा अंकित किये गये कुल मूल्य पर 18% जी0एस0टी0 जोड़कर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो " Executive Engineer (Maintenance), U.P.Avas Evam Vikas Parishad, Lucknow" के पक्ष में देय हो, स्वीकृति पत्र निर्गत होने के सात दिन के अन्दर कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा जमानत धनराशि जब्त करते हुए निर्गत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

4– वाहन '' जहाँ है जैसे है'' के आधार पर नीलाम किया जायेगा।

5– वाहन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में देखा जा सकता है।

6– अधोहस्ताक्षरी को किसी एक बिड अथवा समस्त बिडों को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

7– बिडदाता द्वारा हस्तान्तरण शुल्क एवं अन्य कर जो भी देय होगें, वह स्वंय वहन किये जायेंगें। वाहनों को स्थल से उठवाने की व्यवस्था बिडदाता को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्वयं करनी होगी।

8– वाहन उठाने के 15 दिवस के अन्दर हस्तान्तरण कराना अनिवार्य होगा।

9– बिडदाता को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की प्रति बिड प्रपत्रो के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण)

पृ0सं0 1090 / उक्त / दिनांक 16.9.19

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सहायक लेखाधिकारी/सहायक अभियन्ता, अनुरक्षण अनुभाग, मुख्यालय।

(2) सूचना बोर्ड, कार्यालय भवन वृन्दावन योजना/ नीलगिरी आफिस काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर/ परिषद मुख्यालय, लखनऊ।

(3) इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नीलामी सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

16/09/19

अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण)